



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229758
CG-DL-E-17092021-229758

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 396]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

फा. सं. पीएनजीआरबी/टेक/24-टीपीसीए/(1)/2019 (पी-354).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन) विनियम, 2015 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड संशोधन (तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विनियम (तीर्थ पक्ष अनुरूपता आकलन), 2015 में—

- (i) (i) विनियम 4 में, शीर्षक "कार्यक्षेत्र" के अनुच्छेद में, "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ..." से शुरू होने वाले और "... एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली) विनियम, 2013" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के बाद, , निम्नलिखित अधिसूचित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“

- (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियाँ) विनियम, 2016;

- (छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2017;
- (ज) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2018;
- (झ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (एलपीजी भंडारण, हैंडलिंग और बॉटलिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2019;
- (ञ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2020।”

(ii) विनियम 6 में -

- (क) उप-विनियम (2) में, खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(क) संस्थाएं वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा करेंगी।”

(iii) अनुसूची -1 में, खंड 1.4.1 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(ज) संबंधित क्षेत्र में संचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव।”

(iv) अनुसूची -2 में, अनुच्छेद 2.7 में, “बोर्ड ...” शब्दों से शुरू होने वाले और “... न किया गया हो” शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी के पैनल के लिए आवेदन के साथ-साथ उत्तरवर्ती नवीकरण शुल्क (गैर-वापसी योग्य) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2007 और समय - समय पर इसके संशोधनों के प्रावधान 3 के अनुसार होगा।”

(v) परिशिष्ट-1 में-

- (क) तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“

क्रमांक	स्थापना का नाम	टी 4 एस लेखा परीक्षा की आवश्यकता (वर्ष)	ईआरडीएमपी समीक्षा और प्रमाणन की आवश्यकता (वर्ष)
1	रिफाइनरी	<u>3</u>	3
2	गैस प्रोसेसिंग स्टेशन	<u>3</u>	3
3	एलएनजी पुनः गैसीकरण स्थापना	<u>3</u>	3
4	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें	3	5
5	प्रोपेन/ब्यूटेन पाइपलाइनें	<u>3</u>	5
6	तरल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें	3	5
7	पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएं	<u>3</u>	5
8	गैस भंडारण सुविधाएं और टर्मिनल, जिनमें एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनलों में भंडारण सुविधाएं शामिल हों ;	<u>3</u>	5
9	हाइड्रोकार्बन गैस बॉटलिंग स्थापनाएं, जिनमें प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं सहित एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के	<u>3</u>	5

	लिए भंडारण शामिल हों;		
10	नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	3	5
11	वितरण स्टेशन और खुदरा बिक्री केन्द्र	3**	5
12	सड़क मार्ग द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन	3***	5
13	अन्य कोई स्थापना, जिसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो।	#	#

बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा।

** कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर।

*** स्थापनाओं या संयंत्रों या डिपो या टर्मिनल या इसी प्रकार के अन्य स्थानों के टी4एस निरीक्षण सहित सत्यापित किए जाएंगे।”

(ख) खंड (2) के लिए नोट में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(2) आईएमएस दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवधिकता संबंधित विनियम विशिष्टियों के अनुसार होगी। तथापि, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (पीपीपीएल) के लिए एकीकृत प्रबंधन विनियमों के तहत आवधिक तृतीय पक्ष लेखा परीक्षाएं टी4एस और आईएमएस दोनों विनियमों के संयुक्त कार्यक्षेत्र में टी4एस विनियमों के तहत तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षाओं सहित की जा सकती हैं।

(3) आवधिक तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा में पिछले लेखा परीक्षा जैसे टी4एस / एकीकृत प्रबंधन लेखा परीक्षा या आंतरिक लेखा परीक्षा या इसी प्रकार की अन्य लेखा परीक्षाओं में सूचित की गई किसी भी गैर-अनुरूपता को कम करने के अनुपालन को भी शामिल किया जाएगा।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./260/2021-22]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम एफ.सं. पीएनजीआरबी/एम/(आई)/टी4एस/कॉन्फो/1/2009, दिनांक 17.04.2015 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

F. No. PNGRB/Tech/24-TPCA/(1)/2019 (P-354).— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Third Party Conformity Assessment) Regulations, 2015, namely: -

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Third Party Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Third Party Conformity Assessment) Regulations, 2015, -

- (i) in regulation 4, in the para heading “Scope”, after the words beginning with “the Petroleum and Natural Gas...” and ending with “...Distribution Networks Regulations, 2013”, the following notified regulations shall be added, namely: -

- “(f) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2016;
- (g) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Liquefied Natural Gas Facilities) Regulations, 2017;
- (h) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for dispensing of Automotive Fuels) Regulations, 2018;
- (i) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for LPG Storage, Handling and Bottling Facilities) Regulations, 2019;
- (j) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Installations) Regulations, 2020.”
- (ii) in regulation 6-
- (a) in sub-regulation (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -
- “(a) The entities shall undertake an internal audit for ensuring compliance to relevant regulations notified by the Board at least once a year.”
- (iii) in Schedule-1, in Clause 1.4.1, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -
- “(h) Minimum 5 years’ of working experience in operation and maintenance in the relevant area.”
- (iv) in Schedule-2, in paragraph 2.7, after the portion beginning with the words, “The Board...” and ending with the words “...at New Delhi”, the following shall be inserted, namely: -
- “Application as well as subsequent renewal fees (non-refundable) for empanelment of Third-Party Inspection Agency shall be as per the provision 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007 and its amendments from time to time.”.
- (v) in Appendix-1-
- (a) for the table, the following table shall be substituted, namely: -

“

S. No.	Name of Installation	Periodicity for T4S Audit (Years)	Periodicity for ERDMP Review and Certification (Years)
1	Refinery	3	3
2	Gas Processing station	3	3
3	LNG Re-gasification Installation	3	3
4	Natural Gas Pipelines	3	5
5	Propane/ Butane Pipelines	3	5
6	Liquid Petroleum Product Pipelines	3	5
7	Petroleum Storage Facilities	3	5
8	Gas Storage Facilities and terminals including storage facilities at LNG Re-gasification terminals	3	5
9	Hydrocarbon gas bottling Installations having receiving, storage and handling facilities including storage for LPG, propane and butane;	3	5
10	City or Local Natural Gas Distribution	3	5

	Network		
11	Dispensing Stations and retail outlets	3**	5
12	Transportation of Petroleum Products by road	3***	5
13	Any other installation as may be notified by the Board from time to time	#	#

To be decided by the Board from time to time

**based on self-certification by the entity.

***to be verified along with the T4S inspection of installations or plants or depots or terminal or like other places.”

(b) in Note for clause (2), the following clauses shall be substituted, namely: -

“(2) The periodicity for verification of IMS documents shall be as specified in respective regulations. However, the periodic third-party audit under Integrity Management Regulations for City or Local Natural Gas Distribution (CGD) Networks, natural gas pipelines (NGPL) and Petroleum and Petroleum Products Pipelines (PPPL) may be undertaken alongwith the third-party audits under T4S Regulations with combined scope of both T4S and IMS regulations.

(3) The periodic third-party audit shall also cover the compliance of mitigation of any non-conformity reported in the previous audits such as T4S or Integrity Management Audits or internal audits or like other audits”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./260/2021-22]

Foot Note : The Principal regulations were notified vide F.No. PNGRB/M/(I)/T4S/Confo/1/2009, dated 17.04.2015.